न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, झांसी।

दाण्डिक वाद संख्या- 1296/ 2003

सरकार **बनाम** **कैलाश।**

मु०अ०सं०- 77/ 2003
धारा- 25 आयुध अधिनियम
थाना- टहरौली, जिला- झांसी।

आरोप

मै, **सुनील शेखर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला झांसी आप अभियुक्त **कैलाश** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूं:-

1- यह कि दिनांक 27. 02. 2003 को समय 19. 30 बजे व स्थान वहद ग्राम लौड़ी अन्तर्गत थाना टहरौली, जिला झांसी में पुलिस द्वारा आपको गिरफ्तार किया गया तथा आपके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा नाजायज 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस बरामद होने का अभियोग है, जिसको रखने का आपके पास कोई लाइसेन्स नहीं था। इस प्रकार आपने धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि आपका विचारण उपरोक्त धारा में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक- 06. 05. 2022

(सुनील शेखर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी।

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया व विचारण की याचना की।

दिनांक- 06. 05. 2022

(सुनील शेखर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी।